

FORM-II
(For projects other than linear projects)
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR LAHAUL & SPITI DISTRICT.

No 2020/SK (E) Dated 9/12/15

TOWHOWSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights)Act 2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes , it is certified that **0-04 ~~5~~ Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Fire Post Service Department** (name of user agency) for **Construction of Fire Post Service.**

(purpose for diversion of forest land) in Lahaul & Spiti District falls within jurisdiction of **Mohal Guskiar Gram Sabha Yurnath & Guskiar** in Tehsil Lahaul.
It is further certified that:-

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0-04 ~~5~~ hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committees(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure **A-1 to A-4 annexure.**
- b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and detail of proposed diversion. Copy of certificate issued by the Gram Sabha of Yurnath & Guskiar villages are enclosed as **annexure B-1.**
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given consent to it.
- f) The rights of Primitive tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (c) of the FRA.

Encl: - As above


(Hans Rai Chouhan)IAS
District Collector,
Lahaul & Spiti District.



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

निर्मल ग्राम पंचायत युरनाथ

विकास खण्ड लाहौल जिला लाहौल-स्पति (हि0प्र0)

प्रस्ताव संख्या:-06--

आज दिनांक 03-07-2016 को ग्राम पंचायत युरनाथ की बैठक/ग्राम सभा बैठक
प्रधान/उप-प्रधान.....दीनम दीग.....की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्न

प्रस्ताव पारित किया गया :-

विषय 07) ग्राम पंचायत युरनाथ से गुरन्धार गांव में
दमवल चौकी निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
जारी कराने बारे।) ग्राम सभा ने सर्व
सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि ग्राम
पंचायत युरनाथ से गुरन्धार गांव में दमवल
चौकी बनाने पर ग्राम लभा को कोई
अनापत्ति नहीं है।
अतः ग्राम लभा युरनाथ
उपरीक्त कार्य निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
जारी करती है।
प्रमाणित किया जाता है कि नवल भूल
व्यापवाही अनुसार लही है।



Secretary
Gram Panchayat Yurnath
Dist. LAs (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा भुत्ताप, गल्पा
प्रतिलिपि प्रस्ताव 2

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 03-09-2015

ग्राम सभा भुत्ताप, गल्पा की बैठक आज दिनांक 03-09-2015 को 11
बजे, स्थान कैचहे में श्री/श्रीमति रविशंकर च-६ की अध्यक्षता में
की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गल्पा जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें जलविभाग द्वारा ** अभियन्ता के निर्माण के लिए हैक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
या (04-05-16)

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 03-10-2015 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान भुत्ताप
दिनांक 03-09-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

75m

29

5257

113

36

Annexure-II

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Lahaul at Keylong
DISTRICT Lahaul & Spiti (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Lahaul Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Sh. Suspect Singh Rathore SDO (Civil) Lahaul or 09/10/15 at 3:00 AM/PM at Keylong (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Yurnath, Guskhet Gram Sabha, claiming rights in Past No. 2004.05 Hect. forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Yurnath Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected -

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by Yurnath Gram Sabha, no application was received claiming rights in 0048 Hect forest area. Proposed for construction on Fire Brigade Centre Building

Place: Keylong

Date 09/10/15

SDO (Civil) [Signature] cum-Chairman/Chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT LAHAUL & SPITI (H.P.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee of Lahaul & Spiti District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /Chairpersonship of Mr. **Hans Raj Chouhan** Deputy Commissioner **Lahaul & Spiti District** on **19th October, 2015** at **3.30 PM** at **Keylong** (Place) in which the application (s) of Gram Sabha, claiming right in **Tukra No.1 area 0-0405 hectares** in **Mohal Guskiar** Proposed to be diverted under **FCA, 1980** for **Construction of Fire Post Service** Forest areas under **FRA 2006**, duly processed and recommended by the Sub Divisional Level Committee, Lahaul were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted.

Sr. No	Name of applicant	Name of Forest Detail of forest Right
1.		Nil

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected

Sr. No	Name of applicant	Name of Forest Detail of forest Right
1.		Nil

OR

As informed by SDO@ Lahaul at Keylong, no application was received from **Yurnath & Guskiar** Gram Sabha claiming right in **Tukra No.1 area 0-0405 hectares** in **Mohal Guskiar** forest area, proposed to be diverted under **FCA, 1980** for **Construction of Fire Post Service**.

Place: Keylong

Date: 19-10-2015



DC -cum- Chairman/Chairperson,
District Level Committee.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम-सभा..... भुलाय-गुल्बारा (हि0प्र0)
विकास खण्ड..... लाहौर जिला..... दिस

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 03-09-2015

प्रस्ताव संख्या 02

गणपूर्ति 13 / 15

विषय: सिग्नि शरण (हि0प्र0) विभाग/संस्था को गवन
के निर्माण हेतु सिग्नि
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-10-00 बीघा/0.04.05 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा भुलाय, गुल्बारा की बैठक आज दिनांक 03-
09-2015 को 11 बजे, स्थान कचारा में
की गई, जिसमें अग्नि शरण विभाग/संस्था को अग्नि कमल
वाला के निर्माण हेतु गवन जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को
अग्नि कमल वाला निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा भुलाय, गुल्बारा की सहमति दी जाती है।

स्थान भुलाय
दिनांक 03-09-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा अग्नि
भुलाय गुल्बारा

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्नि शमन विभाग हि0प्र0 गाँव गुस्क्यार ग्रामसभा यूरनाथ, गुस्क्यार वन मण्डल अधिकार समिति को प्राप्त हुआ है । दावे का मौके पर साक्ष्यों के आधार पर निरीक्षण करके पाया गया कि टुकड़ा न0 1 तादादी रकवा 0-10-0 विघा(0.0405) हैक्टर में चिन्हित किया गया है । उक्त भूमि का निरीक्षण उपमण्डल वन अधिकार समिति द्वारा किया गया इस सन्दर्भ में वन अधिकार समिति गाँव यूरनाथ, गुस्क्यार से इस कार्य के लिये स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । उक्त भूमि पर 2 अदद छोटे पेड देवदार के मौजूद है । और यह प्रस्ताव अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3/2/ के अन्तर्गत आता है । अतः उपमण्डल वन समिति सर्व सम्मति से उक्त निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरित हेतु प्रस्ताव पारित करती है ।

स्थान—

दिनांक

सदस्य 1




सदस्य 5


सदस्य 2




सदस्य 6



सदस्य 3



सदस्य 4



अध्यक्ष वन अधिकार समिति

